



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2012—आश्विन 30, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. बी-4-09-2012-2-पांच (37).-- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिये बैंक के साथ निष्पादित किये जाने वाले ऋण संबंधी लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में कमी करते हुए मात्र एक सौ रुपये करती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. बी-4-09-2012-2-पांच (37).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्र. बी-4-09-2012-2-पांच (37), दिनांक 22 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd October 2012

No. F-B-4-09-2012-2-V (37).— In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, reduces the Stamp Duty to Rupees One Hundred only chargeable on loan related instrument to be executed with Bank for establishment of technical educational institutions.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
N. K. JAIN, Dy. Secy.